मूल वाद में अंतिम डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर भीम

पीठासीन अधिकारीः– श्री विकास शर्मा आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं. 74/2024

01. भाग्यवती जैन पत्नि दिलीप कुमार देसरला।
02. दिलीप देसरला पुत्र प्रकाशचन्द्र।
03. कमलेश देसरला पुत्र प्रकाशचन्द्र।

समस्त जाति महाजन आयु बालिग निवासी माना रावजी का वास भीम तहसील भीम, जिला राजसमंद।

..................................वादीगण

बनाम

01. पवन कुमार पिता रोशनलाल जाति महाजन आयु बालिग।
02. रेखा पत्नि पवन कुमार जाति महाजन आयु बालिग। निवासीयान भीम तहसील भीम जिला राजसमंद।
03. भगवत सिंह पुत्र जसवंत सिंह जाति रावत आयु बालिग निवासी नंदावट तहसील भीम जिला राजसमंद।
04. मोहम्मद इब्राहिम पुत्र शबीर हसन जाति मुस्लमान निवासी धोलीघाटी भीम तहसील भीम जिला राजसमंद।
05. तुलसी देवी पत्नि भगवान सिंह जाति रावत आयु बालिग निवासी कोटकिराणा तहसील रायपुर जिला ब्यावर हाल निवासी धोटी तहसील भीम जिला राजसमंद।
06. भगवान सिंह पुत्र खीम सिंह।
07. गोविन्द सिंह पुत्र खीम सिंह।
08. शान्ता पुत्री खीम सिंह।

समस्त जाति रावत आयु बालिग निवासी निचला बाजार भीम तहसील भीम जिला राजसमंद।

09. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भीम

..............................प्रतिवादीगण

<u>राजस्व वाद अर्न्तगत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955</u>

उपखण्ड अधिकारी भीम (राजसमंद)

निर्णय दिनांकः– 6/11/2025

वादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री धर्मेश चन्द्र व प्रतिवादी स्टेट की ओर से सरकारी पैरोकार की उपस्थिति के आधार पर इस वाद में आज दिनांक 06.11.2025 को पीठासीन अधिकारी के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर अंतिम डिक्री दी जाती है कि वादी का वाद स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार भीम को आदेश दिया जाता है कि मौजा भीम पटवार हल्का भीम तहसील भीम जिला राजसमंद में मूल वाद में अंतिम डिकी एवं तहसीलदार भीम द्वारा पेश बंटवाड़ एवं मौका रिपोर्ट के कम संख्या 01, 02, 03 के अनुसार किया जाकर वादी को अपने हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार भीम द्वारा प्राप्त रिपोर्ट अनुसार आ. संख्या 16038/8920 रकबा 0.4023 है० भूमि में से 0.00831 है० भूमि सड़क में अवाप्त होने

के पश्चात् नवीन आराजी 17034/16038 रकबा 0.3192 किस्म बंझड़ होकर उक्त भूमि का ही प्रस्ताव तैयार किया जाना सम्भव है। ग्राम भीम के खसरा नम्बर 17034/16038 रकबा 0.3192 किस्म बंझड़ मे ना0 स0 5978 दिनांक 06.05.2025 बेचान से प्रतिवादी संख्या 06 भगवान सिंह पुत्र खीम सिंह द्वारा अपना हिस्सा नारायण सिंह पिता देवी सिंह व जयपाल सिंह पिता राम सिंह को विक्रय कर दिया अतः प्रतिवादी संख्या 06 भगवान सिंह का नाम खाते से पृथक हो गया व ना0स0 6001 दिनांक 25.06.2025 से प्रतिवादी संख्या 08 शांता देवी पुत्री खीम सिंह द्वारा अपना सम्पूर्ण हिस्सा नारायण सिंह पुत्र देवी सिंह व जसवंत सिंह पुत्र अमर सिंह को बेचान कर दिया गया। इस प्रकार उक्त खाते से प्रतिवादी संख्या 08 शांता देवी पुत्री खीम सिंह का सम्पूर्ण हिस्सा पृथक हो गया। प्रतिवादी संख्या 08 के स्थान पर जसवंत सिंह पुत्र अमर सिंह, नारायण सिंह पुत्र देवी सिंह का नाम दर्ज हो गया। ना0स0 6032 दिनांक 10.09.2025 को नारायण सिंह पुत्र देवी सिंह द्वारा सम्पूर्ण हिस्सा विनोद सिंह पुत्र मोहन सिंह के नाम दर्ज हो गया। प्रतिवादी संख्या 6 भगवान सिंह पुत्र खीम सिंह व प्रतिवादी संख्या 8 शांता देवी पुत्री खीम सिंह के द्वारा अपने हक हिस्से का बेचान करने पर वर्तमान जमाबंदी में नवीन खातेदार जयपाल सिंह पिता राम सिंह, जसवंत सिंह पिता अमर सिंह, विनोद सिंह पिता मोहन सिंह नए केता का अधिकार पुराने खातेदार (संबंधित बेचानकर्ता) के अधिकार पर निर्भर रहेगा। प्रतिवादीगण वादी के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की दखलअंदाजी ना तो स्वयं पैदा करें ना किसी अन्य से करवाए। इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है। तहसीलदार भीम उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद कर पृथक खाते खोलकर पालना से अवगत करावें।

तहसीलदार भीम माफिक डिक्री उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में अमलदरामद कर पालना प्रस्तुत करने की कार्यवाही करे।

यह आज तारीख 4/11/25 को मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी • भीम (राजसमन्द)

(विकास शर्मा)
सहायक कलक्टर
भीम

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भीम
जिला-राजसमन्द

Scanned with OKEN Scanner

वाद के खर्चे

वादी			प्रतिवादी
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प	रूपया	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	रूपया
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	–	अर्जी के लिए स्टाम्प	–
3. प्रदर्शो के लिए स्टाम्प	–	प्लीडर की फीस	
4. ....रूपये पर प्लीडर की फीस	–	साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय	–
			–
5. साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय	–	आदेशिका की तामिल कमिश्नर की फीस	–
6. कमिश्नर की फीस	–		–
7. आदेशिका की तामिल			
जोड		जोड	

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी • भीम (राजसमन्द)

सहायक कलक्टर

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भीम

जिला - राजसमन्द